<u>न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/एफ.टी.सी.-I/ए.सी.जे.एम, देवरिया।</u>

राज्य बनाम भीम प्रजापति

CNR No.- UPDE040155092026

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 2757/26

मुकदमा अपराध संख्या- 132/2026,
धारा- 85, 108 भा.न्या.सं.
थाना- तरकुलवा, जिला- देवरिया।

<u>29.07.2026</u>

1. प्रार्थी/अभियुक्त **भीम प्रजापति पुत्र प्रेमचन्द्र प्रजापति,** अपराध संख्या- 132/2026, अंतर्गत धारा- 85, 108 भा.न्या.सं., थाना तरकुलवा, जिला देवरिया के प्रकरण में गिरफ्तार होकर, जेल से न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है एवं वह निर्दोष है। प्रार्थी ने अपनी पत्नी को कभी मारा-पीटा नहीं है और न ही किसी भी प्रकार से प्रताड़ित ही किया है। प्रार्थी करीब दो माह से ऊपर से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी को उचित जमानत मुचलके पर रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

3. सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अपराध अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति का है एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

4. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया एवं संबंधित प्रपत्रों का सम्यक् रूप से अवलोकन किया गया।

5. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री अंकिता उर्फ गुड़िया को प्रताडित कर आत्महत्या के लिए प्रेरित किये जाने का आरोप लगाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध गम्भीर, अजमानतीय एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ऐसी दशा में समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **भीम प्रजापति पुत्र प्रेमचन्द्र प्रजापति** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र, अपराध संख्या- 132/2026, अन्तर्गत धारा- 85, 108 भा.न्या.सं., थाना- तरकुलवा, जिला देवरिया, निरस्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति रिमाण्ड पत्रावली के साथ संलग्न की जाए।

SD/-
(प्रफुल्ल उपाध्याय)
सिविल जज (सी०डि०)/
एफ.टी.सी.-I/ए.सी.जे.एम,
देवरिया।
J.O. Code- UP3300

दिनांक:-29.07.2026